(6)

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP12300664903900V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

D 5821
2023

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP12300664903900V |
| Certificate Issued Date | : | 13-Sep-2023 03:06 PM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP1414800420234587659201V |
| Purchased by | : | AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA |
| Description of Document | : | Article 23 Conveyance |
| Property Description | : | GATA NO-209 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | BADRUN NISHA WO AKBAR ALI KHAN |
| Second Party | : | AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA |
| Stamp Duty Paid By | : | AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 2,24,840<br>(Two Lakh Twenty Four Thousand Eight Hundred And Forty only) |

Please write or type below this line

0007065662

Statutory Alert:

1. The authenticity of this e-Stamp Certificate can be verified on the website / Mobile App for details
2. The purpose of this e-Stamp is as the name of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

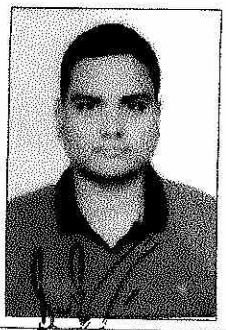

# विक्रय पत्र

## कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम– फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है–

1 – विक्रीत सम्पत्ति का विवरण – कृषि
2 – ग्राम का नाम –फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना – मगलसी
3 – तहसील व जनपद – सोहावल , अयोध्या
4 – सम्पत्ति का विवरण– .....

| गाटा संख्या | गाटा की यूनिक आई.डी. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर मे) |
|---|---|---|
| | | |
| 209 | 16626902090000/2 | 0.146 हे० |

5 – विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.146 हे०

6 – विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

| गाटा संख्या | विक्रींत क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | पूरब | पश्चिम | उत्तर | दक्षिण |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 0.146 | गाटा सं० 212 | रास्ता | गाटा सं० 210, 211 | गाटा सं० 208 |

7 – विक्रीत सम्पत्ति का विवरण –

| गाटा संख्या | विक्रीत क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश (वर्ग मीटर में) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रू0 प्रतिवर्ग मी0) (सर्किल दर का 4 गुना) | प्रतिफल की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 |
| 209 | 0.146 | बदकन निशा | अकबर अली खान | 0.146 हे0 | 32,12000 | 32,12000 |
| | | | | | | |

8 – अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण – 2,24,840

9– विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण – .....

| विक्रेता का नाम | पिता/ पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बदकन निशा | अकबर अली खान | XXXX XXXX 3399 | | 9793795840 | नौकरी | निवासी मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या |

10– क्रेता (द्वितीय पक्ष ) का विवरण– .....

| क्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | आधार संख्या | पैन कार्ड संख्या | मोबाइल नम्बर | पदनाम | पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | श्री शरद कुमार | 209504545354 | ~~BCDPR5382L~~ AAALA0206C | ~~7903057557~~ 7607778911 | उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। | अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या। |

11 – प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि –



बदकन निशा

क– उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।

ख– प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।

ग– प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।

घ– विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।

ड़– विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारो और प्रभारो से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।

च– इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेगें, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।

छ– इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।

ज– शासनादेश सं0–2/2015/215 /1–13–2015–20(48)/2011 राजस्व अनुभाग–13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू–स्वामी/भू–स्वामियो और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनो के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किय जाने वाला समझौता–पत्र व शपथ–पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

झ– गाटा संख्या–के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ0प्र0 के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।

ञ– सम्बन्धित भू–स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं0–1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनो हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण –

| क्र0 | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | बैंक का नाम/शाखा का नाम | IFSC Code | खाता संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बदकून विशा | मकबूल झली खान | बड़ौदा यू०पी० बैंक, चिरी | BARBOBUPGBX | 55300100000047 | 32,12000 |
| | | | माल्हमऊ | | | |

कुल धनराशि शब्दो में–( )

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराषि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू–राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया । इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरुप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14– साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|---|---|---|---|---|
| ओम प्रकाश | स्व0 राजबली प्रसाद | 7607778903 | नौकरी | डी– वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या। |

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता |
|---|---|---|---|---|
| अरमान उल्ला | स्व० रहमतुल्ला | 7275326040 | मजदूरी | फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या |

शासनादेश संख्या –राजस्व अनुभाग –13 संख्या –2/2015/215 एक –13–2015–20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता – पत्र (प्रारुप संख्या–1)

**यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वार वर्णित किया गया है, अर्थात**

**प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:**

**द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।**

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनूसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:–

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्ज़ा लेना आवश्यक समक्षता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मुल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्तः और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षो के लिए 15 प्रतिषत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेष देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराषि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू–स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू–स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू–स्वामी से अनुसूची–1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची –1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू– स्वामी में नही है।

## अनुसूची

ग्राम– फिरोजपुर उपरहार, परगना– मगलसी तहसील–सोहावल जिला–अयोध्या

| खाता सं0 | खसरा सं0 | क्षेत्रफल (वर्ग मी0 मे) | भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रू0में) | भूमि पर खड़ी फसल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रू0 में) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 281 | 209 | 0.146 | — | 32,12000 | — | — |

| भूबद्ध अन्य सम्पति का विवरण | | देय कुल मूल्य (योग कॉलम–5, 7, 9) | व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रू0 में) | | नाम | पिता/पति का नाम | पता |
| 08 | 09 | 10 | 11 | | |
| — | — | 32,12000 | बदरून निशा | अकबर अली खान | चिरई मोहम्मदपुर सोहावल, अयोध्या |

आवेदन सं०: 202300904007144

## विक्रय पत्र

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 5821 वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3212000 स्टाम्प शुल्क- 224840 बाजारी मूल्य - 3212000 पंजीकरण शुल्क - 32120 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 32180

श्रीमती बदरून निशा ,
पत्नी श्री अकबर अली खान
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: चिर्रा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 13/09/2023 एवं 05:31:06 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
13/09/2023

निबंधक लिपिक
13/09/2023

प्रिंट करें

नोट :– मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली–भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

| क्र0 सं0 | नाम | पिता/पति का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | बदरून निशा | अकबर अली खान | चिरी मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या | |

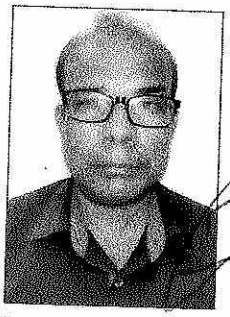

गवाह /अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ओम प्रकाश | स्व0 राजबली प्रसाद | 7607778903 | नौकरी | डी– वैद्येही नगर कालोनी शाहबगंज अयोध्या। | |

गवाह /अभिसाक्षी

| नाम | पिता/पति का नाम | मोबाइल नम्बर | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अरमान उल्ला | स्व0 रहमत उल्ला | 7275332640 | मजदूरी | फिरोजपुर उपरहार सोहावल, अयोध्या | |

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

आवेदन सं०: 202300904007144

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 5821 वर्ष: 2023

**निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त**

**विक्रेता: 1**

श्रीमती बदरून निशा, पत्नी श्री अकबर अली खान

निवासी: चिर्रा मोहम्मदपुर तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

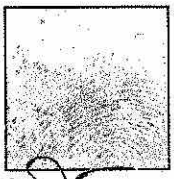


**क्रेता: 1**

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी


**ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान**

**पहचानकर्ता : 1**

श्री ओम प्रकाश , पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: डी वैद्येही नगर कालोनी शाहगंज अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी


**पहचानकर्ता : 2**

श्री अरमान उल्ला, पुत्र श्री स्व रहमतुल्ला

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

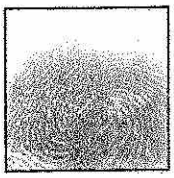


निबंधन अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रताप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
13/09/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
13/09/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम– फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद– अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे है। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होगें।

| गाटा सं0 | विक्रेता का नाम | पिता/पति का नाम | विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल | शपथकर्ता के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 209 | बपकन सिंह | अकबर कली खान | 0.146 हे0 | |

निष्पादन का दिनांकः–
स्थान – सोहावल, अयोध्या।

नि0 अ0 बदरुद्दीन खेड़ा

**आवेदन सं०: 202300904007144**

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3124 के पृष्ठ 49 से 66 तक क्रमांक 5821 पर दिनाँक 13/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
13/09/2023

प्रिंट करें

(6)

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 16626920231116

ग्राम क्रमांक : 166269 ग्राम का नाम / परगना : फिरोजपुर उपरहार(मंगलसी) तहसील : सोहावल जनपद : अयोध्या फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार में हो। | | | | | | | |
| 00081 | मेहरुन्निशा बेवा / मोहम्मद उमर / नि. ग्राम | 1390 | 209 | 0.1700 | | 1426फ. स.नि. मंगलसी द्वारा प्रपत्र आर.सी.9 का आदेश दि. 29.01.2019 को आदेश हुआ कि मृतक मेहरुन्निशा बेवा मो. उमर के स्थान पर आसिया बानो पुत्री मो. उमर पत्नी मो. मुबीन नि.ग्राम साल्हेपुर निमैचा व आमिना बानो पुत्री मो. उमर पत्नी मो. शमीम नि.ग्राम सीवार व शबनम पुत्री मो. उमर पत्नी मो. कदीर खां नि.ग्राम फिरोजपुर व कुलसुम पुत्री मो. उमर पत्नी एजामतुल्ला नि. लोहारी सरैया तह. रूदौली व अख्तरूलनिशा पुत्री मो. उमर पत्नी मो. रिजवान नि.ग्राम बरवा व राबिया बानो पुत्री मो. उमर पत्नी नौशाद नि. तरमा तह. मिल्कीपुर व अनस व असद नाबा. आयु 9 व 7 वर्ष पुत्रगण मो. शमीम संर. पिता नि.ग्राम सीवार का नाम वरासतन दर्ज हो। ह.र.का./29.01.19<br><br>1427फ. आदेश न्याया. ना.तह. मसौधा वाद सं. टी. 201904230203718 ता.फै. 13.01.2020 को आदेश हुआ कि गाटा सं. 209/0.1700हे. का 6/7 भाग रकबा 0.1457हे. सम्पूर्ण अंश ल.प. से विक्रेता श्रीमती आसया बानो पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी मोहम्मद मुबीन व श्रीमती आमिना बानो पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी मोहम्मद शमीम व श्रीमती शबनम पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी मोहम्मद कदीर खां व श्रीमती कुलसुम पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी एजामतुल्ला व श्रीमती अख्तरूल निशा पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी मोहम्मद रिजवान व अनस व असद नाबा. आयु लगभग 9 वर्ष व 7 वर्ष पुत्रगण मोहम्मद शमीम संरक्षक पिता हकीकी मोहम्मद शमीम पुत्र अजीमुल्ला का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीमती बदरून नीशा पत्नी अकबर अली खान निवासी निर्गमोहम्मदपुर पर. मंगलसी तह. सोहावल जि. अयोध्या का नाम जमिंदार खाता सं.भू. दर्ज हो। ह.र.का./30.01.2020<br><br>1429फ. द्वारा परवाना अमलदरामद न्यायालय उपजिलाधिकारी सोहावल | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अयोध्या वाद सं. टी. 202004230203291 अन्तर्गत धारा 116 उ.प्र.रा.सं. 2006 ग्राम पिरखौली श्रीमती बदरून निशा बनाम राबिया बानो आदि वाद में दिनांक 05.05.2022 को आदेश पारित किया गया कि गाटा सं. 209 के संबंध में पारित कुर्रा बंटवारा निम्न प्रकार है। 1. राबिया बानो पत्नी नौशाद निवासी तरमा तहसील मिल्कीपुर गाटा सं. 209 क्षे. 0.170हे. लगान 10.99 में अंश 1/7 गाटा सं. 209/2 क्षे. 0.024हे. लगान 1.57 व 2. बदरून निशा पत्नी अकबर अली खान निवासी चिर्रीमोहम्मदपुर गाटा सं. 209 क्षे. 0.170हे. लगान 10.99 में अंश बैनामा से गाटा सं. 209/1 क्षे. 0.146हे. लगान 9.42 ह.रा.नि.का./21.05.2022<br><br>1431फ. आदेश न्याया. नायब तहसीलदार- मसौधा, सोहावल वाद सं0 T202304230204908 ता0 फ0 26-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपरहार परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या पर अंकित गाटा संख्या 209/0.146हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 0.20रू. से विक्रेता बदरून निशा पत्नी अकबर अली खान निवासी चिर्री मोहम्मदपुर परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या जिला अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 13.09.2023 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। ह.रा.नि.का./27-10-2023 | | |
| | | 1 | 0.1700 | ₹ 10.99 | 4 | | 0 |

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव एक सात शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक शून्य दशमलव नौ नौ रुपये

Data Digitally Signed by: UDAY RAJ

सक्षम अधिकारी: UDAYRAJ
तहसील: सोहावल जनपद: अयोध्या
दिनांक एवं समय: 06-11-2023 12:57:05

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा [illegible] पर की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भूलेख / [illegible] अनुभाग
तह0 सोहा[illegible] अयोध्या
06 NOV [illegible]
नकल शुल्क प्रति खाता रू0 15/- मात्र
सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
ह0 राजस्व निरीक्षक

06-41

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 16626920231144

ग्राम क्रमांक : 166269 ग्राम का नाम / परगना : फिरोजपुर उपरहार(मंगलसी) तहसील : सोहावल जनपद : अयोध्या फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ----------2---------- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो। | | | | | | | |
| 00081 | मेहरुलनिशा बेवा / मोहम्मद उमर / नि. ग्राम | 1390 | 209 | 0.1700 | | 1426फ. रा.नि. मंगलसी द्वारा प्रपत्र आर.सी.9 ख आदेश दि. 29.01.2019 को आदेश हुआ कि मृतक मेहरुलनिशा बेवा मो. उमर के स्थान पर आसिया बानो पुत्री मो. उमर पत्नी मो. मुबीन नि.ग्राम साल्हेपुर निमैचा व आमिना बानो पुत्री मो. उमर पत्नी मो. शमीम नि.ग्राम सीवार व शबनम पुत्री मो. उमर पत्नी मो. कदीर खां नि.ग्राम फिरोजपुर व कुलसुम पुत्री मो. उमर पत्नी एजामतुल्ला नि. लोहारी सैरया तह. रूदौली व अख्तरूलनिशा पुत्री मो. उमर पत्नी मो. रिजवान नि.ग्राम बरवा व राबिया बानो पुत्री मो. उमर पत्नी नौशाद नि. तरमा तह. मिल्कीपुर व अनस व असद नाबा. आयु 9 व 7 वर्ष पुत्रगण मो. शमीम संर. पिता नि.ग्राम सीवार का नाम वरासतन दर्ज हो। ह.र.का./29.01.19<br><br>1427फ. आदेश न्याया. ना.तह. मसौधा वाद सं. टी. 201904230203718 ता.कै. 13.01.2020 को आदेश हुआ कि गाटा सं. 209/0.1700हे. का 6/7 भाग रकबा 0.1457हे. सम्पूर्ण अंश ल.प. से विक्रेता श्रीमती आसया बानो पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी मोहम्मद मुबीन व श्रीमती आमिना बानो पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी मोहम्मद शमीम व श्रीमती शबनम पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी मोहम्मद कदीर खां व श्रीमती कुलसुम पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी एजामतुल्ला व श्रीमती अख्तरूल निशा पुत्री मोहम्मद उमर व पत्नी मोहम्मद रिजवान व अनस व असद नाबा. आयु लगभग 9 वर्ष व 7 वर्ष पुत्रगण मोहम्मद शमीम संरक्षक पिता हकीकी मोहम्मद शमीम पुत्र अजीमुल्ला का नाम निरस्त करके क्रेता श्रीमती बदरून नीशा पत्नी अकबर अली खान निवासी चिर्रामोहम्मदपुर पर. मंगलसी तह. सोहावल जि. अयोध्या का नाम जरिये बैनामा सं.भू. दर्ज हो। ह.र.का./30.01.2020 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1429फ. द्वारा परवाना अमलदरामद न्यायालय उपजिलाधिकारी सोहावल अयोध्या वाद सं. टी. 202004230203291 अन्तर्गत धारा 116 उ.प्र.रा.सं. 2006 ग्राम पिरखौली श्रीमती बदरून निशा बनाम राबिया बानों आदि वाद में दिनांक 05.05.2022 को आदेश पारित किया गया कि गाटा सं. 209 के संबंध में पारित कुर्रा बंटवारा निम्न प्रकार है। 1. राबिया बानो पत्नी नौशाद निवासी तरमा तहसील मिल्कीपुर गाटा सं. 209 क्षे. 0.170हे. लगान 10.99 में अंश 1/7 गाटा सं. 209/2 क्षे. 0.024हे. लगान 1.57 व 2. बदरून निशा पत्नी अकबर अली खान निवासी चिर्रामोहम्मदपुर गाटा सं. 209 क्षे. 0.170हे. लगान 10.99 में अंश बैनामा से गाटा सं. 209/1 क्षे. 0.146हे. लगान 9.42 ।ह.रा.नि.का./21.05.2022<br><br>1431फ. आदेश न्याया. नायब तहसीलदार- मसौधा, सोहावल वाद सं0 T202304230204908 ता0 फै0 26-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपरहार परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या पर अंकित गाटा संख्या 209/0.146हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 0.20रू. से विक्रेता बदरून निशा पत्नी अकबर अली खान निवासी चिर्रा मोहम्मदपुर परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या जिला अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 13.09.2023 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। ह.रा.नि.का./27-10-2023<br><br>1431फ. द्वारा परवाना अमलदरामद न्याया. तहसीलदार, सोहावल वाद सं0 T202304230205060 ता0 फै0 28-10-2023 को आदेश हुआ कि ग्राम फिरोजपुर उपरहार परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली की खाता संख्या 81 पर अंकित गाटा संख्या 209/0.1700हे. में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.024हे. सम्पूर्ण अंश लगानी 2.00रू0 से विक्रेती राबिया बानो उर्फ राजिया बेगम पत्नी नौशाद पता तरमा तरम खास बारून फैजाबाद जिला अयोध्या का नाम निरस्त करके क्रेता अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज पुत्र शरद कुमार उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या पता अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या का नाम जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 20.09.2023 क्रमांक संख्या 6072 प्रतिफल धनराशि मु0-528000.00/-रू0 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। ह.रा.नि.का./04-11-2023 | |
| | | | **1** | **0.1700** | **₹ 10.99** | **5** | **0** |

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव एक सात शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक शून्य दशमलव नौ नौ रुपये

**Data Digitally Signed by: UDAY RAJ**

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: UDAYRAJ
तहसील: सोहावल जनपद: अयोध्या
दिनांक एवं समय: 30-11-2023 11:53:25
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डीटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भूलेख / कम्प्यूटर अनुभाग
तह0 सोहावल, जनपद–अयोध्या

30 NOV 2023

नकल शुल्क प्रति खाता रू0 15/- मात्र
सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
ह0 राजस्व निरीक्षक

D